विचार बिन्दु

जिसने निश्चय कर लिया, उसके लिए बस करना बाकी रह जाता है। –इटैलियन कहावत

राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न राय के लिये भेजे हैं, जनता उत्सुक है, सुप्रीम कोर्ट की राय जानने को

माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय दिनांक 8 अप्रैल, 2025 में जो तमिलनाडु बनाम राज्यपाल शीर्षक के केस में दिया था, जिसमें यह माना था कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी विधेयक को अपने पास अनिर्णित रखने का अधिकार एक सीमा तक होना चाहिये और न्यायालय ने तीन माह की सीमा निर्धारित की। इस निर्णय की वैधता पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कहा कि 'हमने इस दिन की कल्पना नहीं की थी कि राष्ट्रपति को तयशुदा समय में फैसला देने को कहा जावेगा'। अब राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट को 14 प्रश्न भेजे हैं और कोर्ट की सलाह मांगी है। इनमें एक प्रश्न उपरोक्त विषय के बाबत भी है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत जानना चाहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 के तहत 3 महीने की समय अवधि तय कर सकते हैं, जबकि संविधान में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीया राष्ट्रपति ने उक्त फैसले को संवैधानिक मूल्यों, संविधान की संरचना और व्यवस्थाओं के विरूद्ध माना है, इसे संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण भी माना है।

इस पर विचार करने के हेतु हमें संविधान व अनुच्छेद 143 को समझना होगा, साथ ही संविधान के अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 200 व 201 की व्याख्या करनी होगी। समय सीमा नहीं है, फिर भी क्या राज्यपालों व राष्ट्रपति के लिये क्या समय सीमा निर्धारित की जा सकती है। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि क्या वे अपने पूर्ववर्ती फैसल पर पुनः विचार कर निर्णय दे सकते हैं, वह भी अनुच्छेद 143 के आधार पर।

राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत 14 निम्नलिखित प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है:–

1. अनुच्छेद 200के तहत् राज्यपाल के पास विधेयक आता है तो क्या संवैधानिक विकल्प होते हैं?
2. क्या राज्यपाल कैबिनेट की सलाह और मदद के लिए बाध्य हैं?
3. क्या अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल द्वारा संवैधानिक विवेक का प्रयोग न्यायोचित है?
4. क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के फेसलों पर न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह रोक सकता है?
5. संविधान में राज्यपाल के लिए समय सीमा तय नहीं है। क्या कोर्ट इसे तय कर सकता है?
6. क्या राष्ट्रपति के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?
7. क्या राष्ट्रपति के फेसलों पर भी अदालत समय सीमा तय कर सकती है।?
8. क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है?
9. क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसलों पर कानून लागू होने से पहले अदालत सुनवाई कर सकती है?
10. क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 का प्रयोग कर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है?
11. क्या राज्य विधानसभा में पारित कानून, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की सवीकृति के बिना लागू किया जा सकता है?
12. क्या संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों को भेजना अनिवार्य है?
13. क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे निर्देश/आदेश दे सकता है, जो संविधान या वर्तमान कानून से मेल न खाता हो?
14. क्या केन्द्र और राज्य सरकार के बीच विवाद सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुलझा सकता है?

हमारा संविधान कई विशिष्टताओं से भरा हुआ है। संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने 'हमारा संविधान' नामक पुस्तक में जो विशेषताओं का उल्लेख किया है वह वे अद्भुत हैं और निम्नलिखित हैं:–

"भारत का संविधान एक सर्वाधिक व्यापक दस्तावेज है। वह अनेक दृष्टियों से अनूठा है। इसे किसी खास सांचे–ढाँचे में या मॉडल में फिट नहीं किया जा सकता। यह अनम्य तथा नम्य, परिसंघीय तथा एकात्मक और अध्यक्षीय तथा संसदीय रूपों का मिश्रण है इसमें प्रयास किया गया है कि एक ओर व्यक्तियों के मूल अधिकारों और दूसरी ओर जनता के सामाजिक, आर्थिक हितों तथा राज्य की सुरक्षा के बीच संतुलन बना रहे। इसके अलावा यह संसदीय प्रभुत्व तथा न्यायिक सर्वोच्यता के सिद्धान्तों के बीच मध्य मार्ग प्रस्तुत करता है। हमारे संविधान ने अनेक संकटों का सफलतापूर्वक सामना किया है और जीवित रहा। यह बात स्वयंमेव उसकी सुनम्यता, सक्रियता और संवृद्धि की संभाव्यता का प्रमाण है।"

यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि संसद तथा उच्चतम न्यायालय दोनों अपने अपने क्षेत्रों में सर्वोच्च हैं। जहां कि उच्चतम न्यायालय, संसद द्वारा पारित किसी कानून को संविधान का उल्लंघन करने वाला बताकर संसद के अधिकार से बाहर, अवैध और अमान्य घोषित कर सकता है। संसद कतिपय प्रतिबन्धों के रहते हुये संविधान के अधिकांश भागों में संशोधन कर सकती है। अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं जो दर्शाता है कि संविधान विकास की गति और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के नये चीफ जस्टिस बी आर गवई ने उद्घोषणा की है कि लोकतंत्र के तीनों स्तम्भ अर्थात् न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सब समान हैं, अपने कार्य में, अपने–2 अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र हैं।

मेरी विनम्र राय में ऐसा प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट यह उत्तर दे सकता है कि उठाये गये प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है और कोर्ट संतुष्ट है कि राय देना नहीं आवश्यक है। हम संविधान की दो महाशक्तियां हैं। हमारा धर्म व कर्म संविधान की रक्षा का है। हम मिलकर देश के हित, विकास व उन्नति के लिये गरिमा के साथ अपने धर्म की पालना करते रहेंगे।

संविधान का अनुच्छेद 143 उच्चतम न्यायालय के परामर्श की अधिकारिता प्रदान करता है। सार्वजनिक महत्व की विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय राष्ट्रपति मांग सकता है यदि उसके विषय में उसका विचार हो कि ऐसी राय मांगना समीचीन है। यह राय केवल सलाह के रूप में होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिये अपनी राय देना बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने Special Reference No.1/1964 में यह मत अभिव्यक्त किया है। Re the Special Courts Bill, 1978 में कोर्ट ने इंगित किया है कि यदि कोर्ट इन्कार करे तो उसके कारण देना आवश्यक है। अयोध्या बाबरी मस्जिद के केस रेफेरेंस संख्या 1/1993 को न्यायालय ने रेफरेन्स को बिना उत्तर दिये लौटा दिया था। अहमदाबाद सेन्टजेवियर कॉलेज सोसाइटी व अन्य बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के केस में (1974)एससीसी 717) माना है कि अनुच्छेद 143 के तहत दी गई ऑपिनियन बाध्यकारी नहीं है। हाँ, यह वजन रखती है; किन्तु यह भी सच है कि जस्टिस वाई वी चन्द्रचूड ने यह विचार अभिव्यक्त किये थे कि अनुच्छेद 143 के तहत् दी गई सलाह सभी कोर्ट्स के लिये बाध्यकारी होना चाहिये।

कावेरी विवाद के मामले में (Special Reference No. 1 of 1998) में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रेफरेन्स की शक्ति को अपीलीय शक्ति नहीं माना जा सकता।

कावेरी रेफरेन्स के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि राष्ट्रपति पूर्ववर्ती निर्णित किये हुये मामले में रेफरेन्स नहीं कर सकते। क्योंकि जब निर्णय दिया है तो फिर शक की कोई सम्भावना नहीं रहती। 2ळ रेफरेन्स ऑफ 2012 में यह भी स्पष्ट किया है कि यदि इसी विषय पर कोई निर्णय है तो पुनः कोई कार्यवाही नहीं हो सकती (Central for Public Interest Litigatin vs UOI, 2012)

उपरोक्त कुछ मामले, जिनका उल्लेख किया है विषय को समझने व निर्णित करने में सहायक हो सकते है। अनुच्छेद 137 के द्वारा उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने निर्णयों और आदेशों पर पुनर्विचार कर सकें। अनुच्छेद 140 के तहत् संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के अधिकारों में वृद्धि कर सकती है। अनुच्छेद 141 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कोई भी बात पूरे देश के (सभी न्यायालयों पर लागू है)। अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायलय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगी। किन्तु यह भी सच है कि क्या कोई बात कहने मात्र से, उसे कानून माना जा सकता है। इसका उत्तर 'ना' में दिया है, क्योंकि तर्क के बिना यह नहीं कहा जा सकता कि कोई कानून घोषित हुआ है।

संसद जब विधेयक (एक्ट) बनाती है तो उसमें प्रावधान होता है कि राष्ट्रपति की एसेन्ट प्राप्त करे और यह घोषित करे कि वह जनता पर कब लागू होगा। विधेयक (अधिनियम), गजट विज्ञप्ति द्वारा निर्देशित तारीख से लागू होता है। ऐसा भी देखा गया है कि संसद ने कानून तो पारित कर दिया, किन्तु लागू करने की विज्ञप्ति ही जारी नहीं की। Industrial Disputes Act 1947 में एक संशोधन 1982 में हुआ, जिससे Industry की परिभाषा में परिवर्तन किया गया; किन्तु संशोधन एकट के लागू होने की तारीख आज तक घोषित नहीं की। ऐसे सैकडों उदाहरण हैं, जहां सरकार कानून बना देती है, किन्तु वह लागू नहीं करती। कानून लागू करने के हेतु हाईकोर्ट में रिट याचिका प्रस्तुत की गई, किन्तु उच्च न्यायालय ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि लागू करने की प्रक्रिया को एक्जीक्यूटिव आदेश न मानकर विधायिकी प्रक्रिया माना गया। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के प्रकरण में राज्यपाल को विधेयकों को लम्बित रखने को असंवैधानिक करार दिया है। यह विषय महत्वपूर्ण है क्योंकि केरल, तेलंगाना व पंजाब राज्यों में वहां के राज्यपाल द्वारा विधेयकों को लम्बित रखने से राज्य सरकार के कामों में बाधा पैदा हो रही है।

किसी विधेयक को लम्बित रखने की सीमा निर्धारित करने के सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय को सरकार ने चुनौती दी हैं। राष्ट्रपति ने अनुच्देद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी है।

चुनौती देने वालों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान की मूल भावना के विरूद्ध है तथा यह भी बहस की जा रही है कि लोकतांत्रिक सरकारों पर किसी प्रकार का बन्धन जनहित के विरूद्ध है, क्योंकि सरकार जनता की सरकार है।

राष्ट्रपति ने प्रश्न उठाकर सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत् राय मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिये किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये समय सीमा तय कर सकता जबकि संविधान में इसकी व्यवस्था ही नहीं है? (पूछे गये 14 प्रश्नों का यह सार है)। एक दृष्टिकोण ऊपर अभिव्यक्त किया जा चुका है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश असंवैधानिक है। दूसरा दृष्टिकोण यदि हम अनेकान्त भाव से विचार करें तो यह हो सकता है कि अनुच्छेद 142 में पूर्ण न्याय करने के हेतु सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा किया जा सकता है, यदि उक्त अनुच्छेद की परिस्थितियां विद्यमान हों। सके अतिरिक्त अनुच्छेद 141 भी यह निर्देश देता है कि सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी घोषणा कानून है।

अब उपरोक्त 14 प्रश्न माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। कानून स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिये बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को पुनर्विचार का अधिकार है। मेरी विनम्र राय में ऐसा प्रतीत होता है सुप्रीम कोर्ट यह उत्तर दे सकता है कि उठाये गये प्रश्नों की प्रकृति ऐसी है और कोर्ट संतुष्ट है कि राय देना नहीं आवश्यक है। हम संविधान की दो महाशक्तियां हैं। हमारा धर्म व कर्म संविधान की रक्षा का है। हम मिलकर देश के हित, विकास व उन्नति के लिये गरिमा के साथ अपने धर्म की पालना करते रहेंगे।

सत्यमेव जयते!

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

जन सांख्यिकीय संतुलन: कश्मीर के स्थायी पुनर्निर्माण की अनिवार्य शर्त

सुनील दत्त गोयल

कश्मीर घाटी की स्थिरता और दीर्घकालिक शांति के लिए सबसे बड़ा प्रश्न केवल सुरक्षा या आर्थिक विकास का नहीं है – बल्कि वहां की जनसांख्यिकीय संरचना (अर्स्दुईज्प्म ऐुल्मूली) का है। जब तक घाटी में जनसंख्या का सामंजस्य नहीं स्थापित किया जाता, तब तक किसी भी योजना या नीति की सफलता अधूरी ही मानी जाएगी। 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ, वह भारत के स्वतंत्रता के पश्चात सबसे भीषण सांप्रदायिक नरसंहारों में से एक था।

मस्जिदों से खुलेआम धमकियाँ दी गईं, गैर मुस्लिम लोगों के घरों पर हमले हुए, बहन–बेटियों की इज़्ज़त लूटी गई, उनका सरेआम कत्लेआम किया गया, नरसंहार किया गया, लूटपाट की गई, उनको जमीन जायदाद और अपने घरों से बेदखल किया गया और इतना वीभत्स नरसंहार हुआ कि आज उसकी कल्पना मात्र से भी दिल कांप उठता है और पूरा का पूरा समुदाय अपनी ही ज़मीन से दर–ब–दर कर दिया गया। दिल्ली के जंतर–मंतर पर लगे उन अस्थायी कैंपों से लेकर आज भी विस्थापन का दर्द झेलते परिवारों तक – यह घाव आज भी हरा है। द कश्मीर फाइल पिक्चर में इसके अंश लोगों ने देखे हैं और वह उससे कल्पना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं की फिल्म में जो अंश दिखाए गए उससे कई गुना अधिक उनकी भयानकता थी।

घाटी में पहले कश्मीरी पंडितों, सिखों और अन्य गैर–मुस्लिम समुदायों की उल्लेखनीय उपस्थिति और उनका बौद्धिक, प्रशासनिक तथा सांस्कृतिक योगदान रहा है। लेकिन कट्टरपंथी सोच और अलगाववादी मानसिकता ने वहां एकपक्षीय धार्मिक पहचान को जबरन स्थापित करने की कोशिश की – और काफी हद तक सफल भी हुए।

जनसंख्या का संतुलन क्यों ज़रूरी है?

कश्मीर घाटी की एकांगी जनसंख्या संरचना केवल सामाजिक असंतुलन का कारण नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी दीर्घकालिक खतरा है। जब घाटी में स्थानीय समर्थन के बल पर विदेशी आतंकवादी शरण पाते हैं, जब ओवर ठाउंड वर्कर आतंकियों को आश्रय एवं सूचनाएं भी देते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि समस्या केवल सीमा पार से नहीं, भीतर से भी है। कश्मीर में एक वर्ग ऐसा है जो आतंकवादियों का खुला समर्थन करता है, और दूसरा वर्ग है जो व्यापार के लिए मीठी–मीठी बातें करता है, शांति के नाम पर मोमबत्तियां जलाकर जुलूस निकालता है। लेकिन यह उनकी दोहरी नीति है – आतंकवाद और व्यापार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जो स्थानीय व्यापारी सच में शांति और ईमानदारी से व्यापार करना चाहता है, उसे यह बताना होगा कि कौन लोग आतंकवादियों को समर्थन दे रहे हैं, ताकि उनकी पहचान की जा सके और उन पर कार्रवाई की जा सके। अगर वह सच में ईमानदार है, तो उन्हें अपने आसपास की सच्चाई सरकार को बतानी होगी। एक ओर मोमबत्तियाँ जलाकर शांति की बातें होती हैं, तो दूसरी ओर उसी मोहल्ले से आतंकवादियों को लॉजिस्टिक मदद मिलती है। ऐसे में अगर कोई यह कहे कि घाटी में आतंकवाद और व्यापार साथ–साथ चल सकते हैं, तो यह केवल एक राजनीतिक भ्रम होगा।

समाधान क्या है?

जनसांख्यिकीय परिवर्तन एक मात्र विकल्प नहीं है, लेकिन यह सबसे निर्णायक विकल्प ज़रूर है।

सरकार को चाहिए कि वह उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार और अन्य राज्यों के युवाओं, अग्नि वीरों, पूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों के रिटायर्ड अधिकारियों, ऐसे लोगों और व्यापारियों को जो अपने व्यापार का विस्तार कश्मीर में करना चाहते हैं तथा राष्ट्रप्रेम से ओत–प्रोत नागरिकों को घाटी में पुनर्वासित करने की योजना तैयार करे। उन्हें:–

भूमि, आवास और रोजगार व बैंकों से सुविधाजनक कर्ज की सुविधाएं दी जाएं,

वहां सम्मानजनक जीवन यापन की गारंटी हो,

और एक वर्ष की अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण देकर उन्हें सुरक्षा में भी सहभागी बनाया जाए।

यह रणनीति घाटी में स्थायी शांति और विकास के लिए आधार तैयार करेगी।

क्या यह व्यावहारिक है?

बिलकुल। धारा 370 के हटने के बाद जम्मू–कश्मीर में पहली बार भारतीय कानून और नीतियों को समान रूप से लागू करने का अवसर मिला है। निवेश बढ़ रहा है, नौकरियाँ पैदा हो रही हैं – लेकिन अगर इस बदलाव का लाभ केवल एक सीमित समुदाय तक ही रहे, तो ना तो यह लोकतंत्र के सिद्धांतों के हित में होगा और ना ही वहां के व्यापार और उद्योग जगत के सर्वांगीण विकास के लिए उचित होगा। क्योंकि सरकार जितना बड़ा विकास कश्मीर घाटी के लिए करना चाहती है उसके लिए उतने ही संसाधनों की और मानव श्रम की और मानवीय लोगों की जरूरत रहेगी और उसके लिए बाहर के राज्यों के लोगों को वहां विस्थापित करना आवश्यक है जो कि वहां के स्थानीय लोगों के हित में भी रहेगा और व्यापार उद्योग जगत के लोगों के भी हित में रहेगा। कश्मीर की वास्तविक 'विकास गाथा' तब लिखी जाएगी, जब वहां का जनसंख्यिकीय संतुलन भारत के अन्य राज्यों की तरह बहुलतावादी और समावेशी होगा। यह न केवल विस्थापितों के साथ ऐतिहासिक न्याय होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी, सुरक्षित और समरस भारत की नींव भी होगी। सरकार को अब संकोच नहीं, दृष्टिकोण और निर्णय क्षमता दिखाने की ज़रूरत है। कश्मीर में अगर स्थायी समाधान चाहिए, तो डेमोग्राफिक चेंज ही वो निर्णायक चाबी है, जो दरवाज़ा खोल सकती है – शांति और समरसता का।

धन्यवाद,
–सुनील दत्त गोयल,
महानिदेशक, इम्पीरियल चैंबर ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
पूर्व उपाध्यक्ष, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जयपुर, राजस्थान

रोजगार के बेहतर विकल्प माध्यमिक शिक्षा के साथ हो

राजेन्द्र जोशी

शिक्षा केवल अंकों का खेल नहीं है। अंको का जोड़–तोड़ शिक्षार्थी को किसी मुकाम तक नहीं पहुंचा सकता। शिक्षा के जरिए स्कूलों में काम का वातावरण और संस्कृतियों में परिवर्तन करने का लक्ष्य प्राथमिक शिक्षा , शिक्षकों के साथ उनकी क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बढ़ाना होगा। तभी वह अपना प्रभावी ढंग से काम करते हुए शिक्षक, छात्रों और अभिभावकों को आकर्षक कर सकेंगे। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो उच्चशिक्षा से पूर्व माध्यमिक शिक्षा के मध्य में उपयोगी वोकेशनल कोर्स संचालित किये जाए ,जिससे छात्रों को काम करने में सक्षम बनाया जा सके। जरूरत प्रैक्टिकल स्किल और तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने की हैं, बच्चों का मन व्यावसायिक शिक्षा की तरफ एकदम से नहीं जा सकता। क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों का कोई पारिवारिक परिवेश व्यवसायिक नहीं होता। एक बड़ा लक्ष्य सुनिश्चित करने से पहले ऐसे शिक्षक तैयार किए जाने चाहिए जो व्यवसायिक शिक्षा के लिए खुद पूरी तरह प्रशिक्षित हो। अनेक बार हम यह मान लेते हैं की शिक्षक हर कार्य में पारंगत होगा। शिक्षक अपने विषय का विशेषज्ञ हो सकता है, लेकिन करियर प्रबंधन में उसको प्रशिक्षित करने की जरूरत सदैव बनी रहनी चाहिए।

माध्यमिक शिक्षा के दौरान शिक्षार्थी को विद्यार्थी परामर्श केंद्र के माध्यम से उसकी इच्छा और रुचि टटोलनी होगी। शिक्षार्थी माध्यमिक शिक्षा तक यह समझ ही नहीं पाता कि उसे अब किस और अपना कॅरियर बनाना है। यह सही और जरूरी वक्त होता है जब शिक्षार्थी को उचित सलाह और परामर्श मिले। यह परामर्श माध्यमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद नहीं अपितु माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही वह अपना मानस और मस्तिष्क यह तय कर ले कि माध्यमिक शिक्षा के उपरांत उसे क्या काम करना है, नौकरी करनी है तो किस सेक्टर में करनी हैं, व्यवसाय करना है तो किस सेक्टर में करना है। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उसे सिविल सर्विसेज में जाना है तो कैसे जाना है, उसकी रुचि के अनुसार उसका मस्तिष्क एकाग्र हो जाना चाहिए। वर्तमान समय में बाजार में विकल्प बहुत है, लेकिन उचित मार्गदर्शन और चयन की समस्या बनी हुई है, अगर समय रहते शिक्षार्थी को उचित मार्गदर्शन मिले और उसके साथ ही उसे जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त हो तो विकल्प तराशने में आसानी हो सकती है।जिससे वह अपना आगे का कॅरियर चुन सके। बेहतर विकल्प चुनने के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित कॅरियर सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए जो शिक्षार्थियों को उनके भविष्य के बारे में सही दिशा दिखा सके। कॅरियर सलाहकार पूरे समय विद्यालय के दौरान छात्रों से परिचित रहे, और उनकी रुचि, क्षमता और लक्ष्य को समझे। उनकी क्षमताओं को समझकर सही कोर्स, व्यवसाय और नौकरी के विकल्प बता सके।

व्यवसायिक शिक्षा के कोर्स माध्यमिक शिक्षा के साथ–साथ संचालित किये जा सकते हैं ।शिक्षार्थी को माध्यमिक शिक्षा के बाद कहीं और भटकना न पड़े और अपने विद्यालय के माध्यम से वह अपने वोकेशनल कोर्सेज चुनते बेहतर विकल्प तलाश कर ले। वैसे भी देश में युवाओं की बढ़ती बेरोजगारी हमारी सरकारों और समाज की चिंता बनी हुई हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए माध्यमिक शिक्षा स्तर पर विकल्प तलाश करना ही उचित होगा।

देशभर में बढ़ती बेरोजगारी से निजात पाने के लिए इस चुनौती को स्वीकार करते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत माध्यमिक स्कूलों में व्यवसायिक विषय को पढ़ाने के लिए पर्याप्त संख्या में परामर्शक, प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक मौजूद होने चाहिए। इसके लिए विज्ञान प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, कौशल प्रयोगशाला एवं अन्य उपकरण जैसी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो।

जरूरी नहीं है कि परामर्शदाता अथवा प्रशिक्षित शिक्षक– सामाजिक कार्यकर्ता बहुत अधिक संख्या में उपलब्ध न हो तो उपलब्धता के आधार पर स्कूलो का एक समूह गठन कर पांच–दस किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूलों में ऐसे लोग समय निर्धारित कर विद्यार्थियों को परामर्श दे सकते हैं। चुनौती यह है कि बेरोजगारी की समस्या पर माध्यमिक शिक्षा के दौरान ही मूल्यांकन और आंकलन किया जाना चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा के बाद हमारे देश के विद्यार्थी रोजगार, स्वरोजगार कि तरफ अपने बेहतर विकल्पों का चयन कर ले।

माध्यमिक शिक्षा के दौरान शिक्षार्थियों को वोकेशनल शिक्षण संस्थानों से परिचित होना चाहिए। ऐसे संस्थाओं को विद्यालयों में आमंत्रित किया जाना चाहिये हो सके तो विद्यार्थियों को वोकेशनल शिक्षण संस्थाओं की विजिट भी करवाई जा सकती है। कोर्सेज तलाशने और प्रशिक्षण रुचि अनुसार 12वीं कक्षा से पूर्व और 12वीं कक्षा के दौरान दिया जाना अनिवार्य होना चाहिए। देश भर में रोजगार के अनेक विकल्प है उसमें से बेहतर विकल्प वर्ष में शिक्षार्थी को चुनने का अवसर मिलेगा और उसकी रुचि भी बढ़ेगी। विचार तो इस पर भी होना चाहिए की 12वीं कक्षा के बाद एक वर्ष और उसी विधालय में कोर्सेज संचालित किया जाए। जिससे सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स करने के लिए शिक्षार्थी को कहीं और न जाना पड़े। वहीं वोकेशनल कोर्स करने की व्यवस्था हो सके इस विषय पर शिक्षा प्रशासन और शिक्षाविदों को गंभीरता से विचार करना चाहिए।

इस व्यवस्था में निजी और सार्वजनिक स्कूलों परस्पर सहयोग और सकारात्मक तालमेल भी बढ़ाने की जरूरत रहेगी। व्यवसायिक प्रशिक्षण केवल राजकीय स्कूलों तक सीमित ना हो बल्कि पब्लिक स्कूल, निजी स्कूलों और सार्वजनिक स्कूलों में भी इसके प्रशिक्षण की व्यवस्था रहनी चाहिए। हां यह जरूर है कि अगर उनके पास इसकी उचित व्यवस्था प्रारंभ में ना हो तो राजकीय परामर्शदाता अथवा प्रशिक्षित शिक्षक निजी और सार्वजनिक स्कूलों की मांग पर उनको सेवाएं उपलब्ध करा सके। व्यवसायिक शिक्षा एक साथ संचालित हो तभी बेहतर विकल्प शिक्षार्थी के पास उपलब्ध हो सकेंगे। देश की बेहतरी के लिए व्यवसायिक शिक्षा ही एकमात्र विकल्प हो सकता हैं। हमारी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था व्यवसायिक शिक्षा के साथ भविष्य और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली होनी चाहिए। तभी हम अच्छी शिक्षा देने के साथ ही बेरोजगारी की समस्या का समाधान तलाशने में कामयाब हो सकेंगे।

–राजेन्द्र जोशी,
शिक्षाविद–साहित्यकार

जैव विविधता दिवस पर प्रतियोगितायें आयोजित

भीलवाड़ा, (निसं)। भारतीय सांस्कृतिक निधि इन्टेक चेप्टर भीलवाड़ा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर म.गा. राजकीय विद्यालय पुलिस लाइन में पोस्टर एवं निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें विद्यालय के अनेक विद्यार्थियों ने भाग लिया।

प्रतिभागियों को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए इन्टेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने कहा कि हमारी धरती पर जीवन का प्रत्येक रूप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैव विविधता संरक्षण से ही मानव जीवन की खुशहाली संभव है। इसका संरक्षण करना एवं प्राकृतिक विरासतों को बचाना अत्यन्त जरूरी है। जाजू ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि प्रदेश में रोहिड़ा, चिरोंजी, केतकी, खसखस, खिरनी, सर्पगंधा, सफेद मुसली, केवड़ा, कदम, चंदन, गुगल, जंगली गुलाब, पीले फूलों वाला पलाश, गिरनार सेमल पीली, सालमपंजा, कड़ाया सहित महत्वपूर्ण पौधे लुप्तता के कगार पर है।

वहीं गोडावण, खरमोर, गिद्ध, उदबिलाव, हुबारा, जंगली कुत्ते, भेड़िया, गेंडा, बादली चीता, सिंह लाइन, जंगली बिल्ली, अजगर, अण्डे खाने वाला सांप, तितलियों सहित सैकड़ों प्रजातियों के जीव–जन्तु लुप्तता के कगार पर है। जैव विविधता में कमी से भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जाजू ने विद्यार्थियों व आमजन से जैव विविधता संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने की अपील की। विद्यालय कार्यक्रम प्रभारी गुमानसिंह पीपाड़ा एवं सुरेश सुराणा ने संस्था का परिचय दिया।

प्रतियोगियों को प्रधानाध्यापक मोहम्मद फारूख रंगरेज, प्रो. सुनील राय पोरवाल, व्याख्याता जितेन्द्र कुमार ब्यावट एवं श्वेता खण्डेलवाल ने संबोधित किया। जाजू द्वारा सभी प्रतिभागियों को इन्टेक की ओर से प्रशंसा पत्र एवं विजेता प्रतिभागियों को प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किये।

राशिफल शुक्रवार 23 मई, 2025

पंडित अनिल शर्मा

ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2082, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र सायं 4:02 तक, प्रीति योग सायं 6:36 तक, बवकरण दिन 11:51 तक, चन्द्रमा आज मीन राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–वृष, चन्द्रमा–मीन, मंगल–कर्क, बुध–मेष, गुरू–मिथुन, शुक्र–मीन, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में।

आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग सायं 4:02 से सूर्योदय तक है। आज अपरा एकादशी व्रत, भद्रकाली एकादशी, जलक्रिडा एकादशी, पंचक है। आज बुध वृष राशि में दिन 1:00 पर प्रवेश करेगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:20 तक, लाभ अमृत 7:20 से 10:42 तक, शुभ 12:23 से 2:04 तक, चर 5:26 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:39, सूर्यास्त 7:07

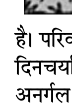

मेष

घर–गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में अतिथियों के आगमन से दिनचर्या अस्त–व्यस्त हो सकती है। आज अनर्गल कार्यों में समय खराब होगा।

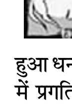

वृष

आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा।

मिथुन

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

कर्क

परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। व्यावसायिक में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

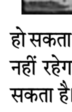

सिंह

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा में परेशानी हो सकती है।

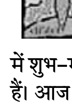

कन्या

परिवार में आपसी सहयोग–समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। आज परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

तुला

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। अटके हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ से राहत मिलेगी। अस्त–व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा।

वृश्चिक

व्यावसायिक वार्ता के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

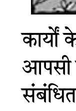

धनु

घर–परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में आपसी वाद–विवाद हो सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

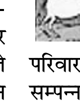

मकर

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में धार्मिक–मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।

मीन

मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनःस्थिति में सुधार होगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। मनोबल–आत्मविश्वास बढ़ेगा